

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

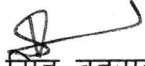
// आदेश //

क्रमांक A/5442 /

जबलपुर, दिनांक 16 / 12 / 2025

IV-12-36/25

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-4-1/2025/नियम/चार भोपाल दिनांक 03 अप्रैल, 2025 के अनुसार श्री राकेश कुशवाहा आत्मज श्री रामकिशोर कुशवाहा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 12/11/2025 से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाता है।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

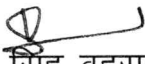
पृष्ठांकन क्रमांक A/5443 /

जबलपुर, दिनांक 16 / 12 / 2025

IV-12-36/25

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
 2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
 3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
 4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. श्री राकेश कुशवाहा आत्मज श्री रामकिशोर कुशवाहा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)